18.02 hrs.

Title: Regarding National Livestock Policy.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.19.

SOME HON. MEMBERS: Sir, it is 6 o'clock now.

MR. CHAIRMAN: I have already taken the sense of the House for half-an-hour.

मैंने हाफ एन आवर को चालू करने के लिए हाउस की कंसेंसस पहले ही ले चुका हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, 28 अप्रेल, 2003 को पशुधन नीति के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 525 पर जब सरकार की तरफ से कोई संतोजनक जवाब नहीं आया, तो अध्यक्ष महोदय ने कृपापूर्वक स्वीकार किया कि इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

महोदय, हमारे देश में पशुधन हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक लम्बे अर्से के बाद, हमारे देश में अभी तक कोई पशुधन नीति नहीं बनी। 1996 में एक नीति का प्रारूप बना, जिसे राय जानने के लिए राज्यों को भेजा गया और उस दिन कृषि मंत्री जी ने यह बताया था कि किसी राज्य से कोई सुझाव ही नहीं आया और यह भी कहा गया कि पशुधन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1,682.59 करोड़ रुपए का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।

सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितनी दौलत आबंटित की है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पशुधन के लिए आबंटित की गई उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ? पशुपालन एवं डेयरी विभाग 1991 में कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत अलग से स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य था कि पशुओं की सेहत में सुधार हो, उनके स्वास्थ्य की देख-रेख की समुचित व्यवस्था हो, उनकी नस्ल सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मछलीपालन को बढ़ावा दिया जाए। ये चार प्रमुख विय थे, जो पशुपालन और डेयरी विभाग को सुपुर्द किए गए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नस्लें विलुप्त हो रही हैं। जहां तक पशुओं के स्वास्थ्य का सवाल है कहीं पशु स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, जहां पशु स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां डाक्टर नहीं हैं, जहां डाक्टर हैं वहां दवाएं पर्याप्त नहीं हैं और जहां दवाएं उपलब्ध हैं वहां उनका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पशुओं के स्वास्थ्य की जो देखभाल होनी चाहिए, वह काम नहीं हो रहा है। पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 44 कार्यालय संचालित हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भारत में विश्व का 16 प्रतिशत गाय, 57 प्रतिशत भैंस, 12 प्रतिशत बकरी और पांच प्रतिशत भेड़ें हैं। इन पशुओं के कारण देश में 110 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पशुपालन में 71 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत का योगदान है, इसके बावजूद पशुपालन उद्योग की निरंतर उपेक्षा हो रही है।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि हमारे देश में दूध का उत्पादन 88 मिलियन टन है, जो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन है, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से भारत के प्रति पशुओं की औसत अंतर्राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। सन् 2002 के आंकड़ों के अनुसार देश में 22 करोड़ गाय थीं और दस करोड़ भैंसें थीं और प्रति गाय दूध का वार्षिक उत्पादन 945 प्रति किलोग्राम प्रतिर्वा था, जब कि विश्व की औसत आय 2,225 किलोग्राम है। इसी प्रकार भैंस की भी है। इसलिए उत्पादकता को बढ़ाना हमारी पहली आवश्यकता होनी चाहिए और इसके लिए शोध की भी आवश्यकता है। आपके यहां जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी संस्तुति के अनुसार भी शोध उन नस्लों पर होना चाहिए, जो नस्लें हमारे देश में उपलब्ध हैं।

सभापति महोदय, देश में चारे का नितांत अभाव है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 11 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर हम चारा पैदा कर रहे हैं, लेकिन यह चारा पशुओं की भूख मिटाने के लिए अपर्याप्त है। योजना आयोग के अनुसार हमारे देश में 47 प्रतिशत हरे चारे की कमी है और 22 प्रतिशत भूसे की कमी है। जब पशुओं को भूसा और और हरा चारा ही नहीं मिलेगा तो उनसे अच्छे उत्पादन की आशा हम कैसे कर सकते हैं। इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह मैं जानना चाहूंगा। छठी पंचवर्षीय योजना में हैसारघाटा कर्नाटक में सेंटर फौडर सीड प्रोडक्शन फार्म स्थापित किया गया। 1997-98 में चारे का उत्पादन 368.60 टन था, जो 2002 में घट कर 271.10 रह गया। इसे देखते हुए चारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। श्री हुक्मदेव नारायण हमारे पुराने वरिठ सहयोगी हैं। हालांकि इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये चन्द्रशेखर जी की सरकार में केबिनेट मिनिस्टर थे और इस सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री बना दिया।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पार्ट-वाइज़ पूछ सकते हैं, संख्या मत पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, मैं पोइंट वाइज़ ही पूछ रहा हूं। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पशु नीति बनाने की क्या कोई निश्चित अवधि है और यह नीति हमारे देश में कब तक बन जाएगी? सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में, जो कृषि प्रधान देश है और कृषि के बाद सबसे अधिक जिस क्षेत्र से लोगों को रोजगार मिलता है, वह है पशुधन, उसके लिए हमारी कोई नीति नहीं है। यह पशुधन नीति कब तक तैयार हो जाएगी? दूसरा सवाल मेरा यह है कि दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय औसत से बहुत कम दूध हमारे यहां पैदा होता है। क्या सरकार ने तय किया है कि वह दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगी। तीसरा सवाल यह है कि चारा उत्पादन क्रमश: हमारे देश में कम हो रहा है, जिससे हमारे देश में एक अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। जब पशुओं को हरा चारा और भूसा नहीं मिलेगा तो कैसे आशा की जा सकती है कि पशुओं से ज्यादा दूध मिलेगा। इसलिए एक तो पशुओं के लिए चारे की उपयुक्त व्यवस्था कराने का काम, दूसरे पशु नीति का एक निर्धारित समय में बनाने का काम और जो अंतर्राष्ट्रीय औसत है, उसमें हमारे यहां जो उत्पादन की कमी है, उसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, विशेकर जब इस समय भयावह अकाल की स्थिति है, पिछले 4-5 साल से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है। अब मनुयों को बचाने के लिए तो अकाल राहत कार्य खोल दिये गये हैं, उनको रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है, गेहूं वगैरह भी दिया जा रहा है और मजदूरी भी दी जा रही है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन किसान का एक बहुत बड़ा सहारा पशु होता है। इस अकालजन्य परिस्थिति के कारण अगर वह पशुधन एक बार नट हो गया तो वापस पशुधन का बनना और किसान के लिए उपयोगी होना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस भयावह अकाल की स्थिति में राजस्थान जैसे भयंकर अकाल से पीड़ित राज्य के अन्दर पश्चिमी राजस्थान में, विशेकर पशुधन को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

इसका 'ख' पार्ट है कि चारे का अभाव है। हालांकि भारत सरकार के हम बहुत आभारी हैं कि ये जिन राज्यों के अन्दर चारा होता है, वहां से मुफ्त रेलगाड़ी चलाकर

उसे राजस्थान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां जो खाली पड़ी जमीन है, उस पर चारा उत्पादन करने के लिए क्या सरकार की कोई विशेा योजना है, ताकि चारा बैंक बन जाये और चारा बैंक बनने के बाद जब भी अकाल पड़े तो पशुधन को बचाने के लिए चारा भेजा जा सके।

इसी का 'ग' पार्ट है कि गौ राट्रीय दृटि से बहुत उपयोगी पशु है। गौ का दूध अमृत तुल्य है। गऊ को भारतीय संस्कृति के अन्दर विशेा सम्मान भी प्रदान किया गया है। उस गौवंश को बचाने के लिए, उस गौवंश की रक्षा करने के लिए, उस गौवंश से जुड़े हुए देश के भावनात्मक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को देखते हुए बचाव के लिए भारत सरकार की भविय में क्या योजना है?

इसी का 'घ' पार्ट राट्रीय पशु नीति के बारे में है। यह कहा गया कि 1996 के अन्दर यह नीति बननी शुरू हुई। इस पर 1993 में चर्चा शुरू हुई, लेकिन 1996, 1997 और 1998 तक यह नीति नहीं बनी। पिछले दिनों सरकार ने एनीमल हस्बेंड्री मंत्रियों की बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या चर्चा हुई है, उसके क्या निर्का निकले और उसके आधार पर कब तक राट्रीय पशु नीति बनकर हमारे सामने आ जायेगी ताकि पशु नीति का पालन किया जा सके? धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, राट्रीय पशुधन नीति के सम्बन्ध में सुमन जी ने यह सवाल उठाया है। यह ठीक बात है कि राट्रीय पशुधन नीति की क्यों अभी तक घोणा नहीं की गई है, सरकार के सामने क्या कठिनाई है? हमारा दृढ़ मत है कि आर्थिक स्थिति में पशुधन का बड़ा भारी योगदान है। 1.82 लाख करोड़ रुपये की हर साल पशुधन से आमदनी होती है, कंट्रीब्यूशन होता है। पशुधन में गौपालन, भैंसपालन, बकरीपालन, मुर्गीपालन, भेड़पालन, सूअरपालन आदि सभी शामिल हैं।

पशुधन नीति में इन सभी का प्रावधान होना चाहिए कि पशुधन का विकास कैसे होगा। सबसे पहले तो उसकी नस्ल सुधार का सवाल है। अभी तक गांवों में गरीब आदमी एक डेढ़ किलो दूध देने वाली गाय पालता है। तीन साल के बाद बछिया गाय बनती है। गरीब आदमी तीन साल तक उसे घास खिला रहा है, तीन र्वा के बाद उसे उसका कुछ लाभ होगा, लेकिन यदि ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट कर दिया जाये, उसका नस्ल सुधार कराया जाये और ये सारी सहूलियतें किसान के दरवाजे पर पहुंच जायें तो इसका बहुत लाभ होगा। दूध में वैसे हम दुनिया में प्रथम उत्पादक देश हो गये हैं। अमेरिका हमसे आगे था, लेकिन किसानों के सहयोग से और किसानों की मेहनत से अब हिन्दुस्तान दूध पैदा करने में प्रथम मुल्क हो गया है। लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी हमारा उत्पादन कम है। अमेरिका में जहां 900 ग्राम पर कैपिटा दूध उत्पादन है, वहीं हमारे यहां 205 ग्राम के करीब पर - कैपिटा उत्पादन है।

अपने देश में 600-700 ग्राम पर- कैपिटा उत्पादन है जबकि हरियाणा, पंजाब में 800-900 ग्राम पर कैपिटा उत्पादन है यानी पंजाब हरियाणा का बेहतर है। लेकिन दुग्ध उत्पादन का नैशनल एवरेज अभी भी बहुत कम है। वह 200 ग्राम पर कैपिटा होगी। इसलिए उसमें नस्ल सुधार कराने की जरूरत है। अपने यहां मरूआ भैंस हरियाणा की है। जफराबादी है, मेहसाना भैंस हजारीबाग की है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम पूछना चाहते हैं कि भैंस, गाय की ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट के लिए सरकार की क्या योजना है ? हमारा कहना है कि किसानों के दरवाजे पर इसकी सेवा पहुंचाई जाये जिससे किसान सहूलियत से उसका इस्तेमाल कर सके, उपयोग कर सके।

इसी तरह बकरी पालन है। गांव का जो सबसे गरीब आदमी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे सब बकरी पालन करते हैं। यही उनकी आमदनी का जरिया है। लेकिन सरकार के कागज में, विभाग में बकरी पालन और पशुधन की उपेक्षा की गयी है। मेरा यह दावा है कि हिन्दुस्तान में गरीबी बरकरार रखने और गैर बराबरी बरकरार रखने के जो भी कारण हैं, उसमें प्रमुख कारण पशुधन की उपेक्षा है क्योंकि 8 परसेंट जी.डी.पी. में जो विभाग कंट्रीब्यूट करता है, जो काम करता है, उसकी इस तरह से उपेक्षा हो रही है। उस पर कभी चर्चा नहीं होती कभी सवाल नहीं उठता। इस कारण से सभी लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है। इसलिए जो मेहनतकश मजदूर है, गांव का किसान है, गरीब आदमी से संबंधित विाय है, उस पर चर्चा नहीं होती। जो चकमक विाय है, उसका बड़ा बोलबाला है। जो पशुओं का धन है, उसका बोलबाला नहीं है। हमारा कहना है कि पशुधन की घोर उपेक्षा हो रही है। सरकार पशुधन नीति लाने का काम करे जिससे गरीब किसान जो कि पशुधन पालन करने वाले लोग हैं, बकरी पालन करने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो सके।

गांव के लोग पशुओं की फीडिंग इम्प्रूवमैंट के बारे में नहीं जानते। जैसे कोई साल भर बकरी का पालन करते हैं तो उसका बच्चा केवल 10 किलो का ही होता है। एक बोल बकरी है, उसको साल भर पालन करने से 80 किलो की हो जाती है। इसी तरह से ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट कर दी जाये तो गरीब आदमी की मल्टी पूल में वृद्धि होगी। हमारा पहला प्रश्न भैंस, बकरी आदि सभी जानवरों की ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट का है। दूसरा, फीडिंग के बारे में है। उनके भोजन का प्रबंध होना चाहिए, चारे का प्रबंध होना चाहिए। ब्रीडिंग इम्प्रूवमैंट के बाद दूध की मार्केटिंग का मैं सवाल उठाना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान)

आप लोगों को इसमें क्या कहना है ? हम गरीब लोगों का सवाल उठा रहे हैं। गरीब आदमी का विाय

इनको कैसे समझ में आयेगा ? *** चारा खाने वाले उधर हैं। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब टोका-टाकी मत करिये। कृपया शांति बनाये रखें।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : *** â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ।।। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप पुराने सदस्य हैं। आप केवल प्रश्न पूछिये। हाफ-ऐन ऑवर डिसकशन में भाण देने की अनुमति नहीं होगी। आप केवल प्रश्न पूछिये। इनका कोई भाण रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। *** â€¦ (व्यवधान) यहां गरीब आदमी का सवाल उठेगा। जो मेहनत करते हैं, जो गांव में पशुधन करता है, खेती करता है, मुर्गीपालन करता है â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो मुर्गीपालन करता है, जो गांव में रहता है, उसका वही कमाई का जरिया है। â€¦ (व्यवधान) इनको छटपटाहट होती है। *** â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, यह विाय गंभीर है इसलिए आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसी कारण गरीब आदमी का शोाण हो रहा है, किसानों का शोाण हो रहा है। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीब आदमी का विाय सुनते ही इनको छटपटाहट होने लगती है, बैचेनी होने लगती है। *** पशुधन को सुनने वाले नहीं हैं। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो दूध का उत्पादन करने वाला किसान है, उसको दूध का दाम कम मिल रहा है।

उनका शोाण हो रहा है। किसान से दूध कितने रुपये में लिया जाता है और उपभोक्ता को कितने रुपये में मिलता है। किसान को एक लीटर दूध के 7-8 रुपये मिल रहे हैं और उपभोक्ता को एक लीटर दूध के 12 रुपये देने पड़ते हैं। बीच में 4-5 रुपये कहां जा रहे हैं। पानी दस रुपये लीटर और किसान का दूध 8 रुपये लीटर - अंधेर नगरी चौपट राजा, यह क्या हो रहा है। इसलिए जिस राज में दूध सस्ता हो और बोतल वाला पानी महंगा हो, यह बोतल वाली पार्टी के लोग हैं। जो किसान दूध पैदा करता है जैसे बिहार से दूध दिल्ली और उत्तर प्रदेश आने लगा लेकिन कोलकाता में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। गांवों में आपरेशन फ्लड खत्म हो गया। वहां कोआपरेटिव बने। किसान गाय-भैंस पालन करता है जिससे दूध मिलता है और उससे आमदनी होती है। इन सब सवालों के बारे में सरकार को बताना चाहिए क्योंकि ये गरीब लोगों से संबंधित सवाल हैं। ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। पशुधन में सौ रोजगार पैदा करने की पोटैंशिऐलिटी है। इसमें गरीब व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, कम्प्यूटर और दूसरी चीजों में नहीं मिल सकता।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप स्पैसीफिक प्रश्न पूछिए

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पशुधन नीति कब तक आएगी, ब्रीडिंग में डोरस्टैप सर्विसेज़ टू दी फार्मर्स सहूलियत कैसे पहुंचाई जाएगी। पशुओं को बीमारी होती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। एक आदमी 10-20 हजार रुपये की गाय खरीद कर उसको पालता है। यदि वह बीमारी से मर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पशु बीमे की क्या स्थिति है? आदमी की जनगणना दस र्वा में होती है तो पशु गणना कब होगी, सरकार से हम यह जानना चाहते हैं।â€¦ (व्यवधान) इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा। गांव में गधे को नमक खिलाकरâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : भाण का अंश रिकार्ड में नहीं जाएगा, केवल प्रश्न जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसी तरह किसान की बात इन लोगों को जहर लगती है, गरीब आदमी की बात जहर लगती है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठे-बैठे न बोलें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पशुधन की खिलाफत करने वालों के लिए लाठी है, पशु की सुरक्षा के लिए लाठी है, पशु चराने के लिए लाठी है। जो लोग पशुधन के विकास में लगे हुए हैं, उनके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं, सरकार इसे स्पट करे। राट्रीय पशुधन नीति की घोाणा तुरंत करें और उसे लागू करें जिससे गांव के गरीब आदमी को लाभ मिल सके। मुर्गी की टांग खाने में स्वाद लगती है लेकिन जो आदमी उसका पालन करता है, उसकी बात जहर लगती है। मैं इन लोगों का भंडाफोड़ करना चाहता हूं। मंत्री जी बताएं कि इसे कैसे ठीक करेंगे।

सभापति महोदय : यद्यपि हाफ-ऐन-आवर डिस्कशन में नियम अनुमति नहीं देता, फिर भी विाय की गंभीरता को देखते हुए मैं दो-तीन माननीय सदस्यों को केवल एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, 71 प्रतिशत महिलाएं पशुधन और मछली पालन के कार्यों में लगी हुई हैं। महिलाओं की सहकारिता में भागीदारी बढ़ाने के लिए आप राज्य सरकारों को क्या मदद करेंगे?

सूखा प्रभावित प्रदेशों में आपने चारा विकास का कोई खास कार्यक्रम नहीं लिया है, जैसे Assistance to States for feed and fodder development. जो राज्य सूखे से प्रभावित हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है।

एक तो यह करें। तीसरा यह है कि जो बजट एस्टीमेट 300 करोड़ का पशु धन विभाग का था, वह आपने 240 करोड़ कर दिया है तो उसको 300 करोड़ ही रहने दें।

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): In our country, day by day, gazing land is decreasing and is being encroached

upon. So, I would like to know when the Government is going to formulate the policy.

I would also like to know from the hon. Minister what specific plan or project is being conceived by him for conservation of the grazing grounds and original breeds in the country. Sindhi breed of our buffaloes, Kankerej breed of cows, Gir breed of cows and Patanwadi breed of sheeps are well known. Has the Government got any plan or project for the preservation of these original breeds?

SHRIMATI JAYABEN B. THAKKAR (VADODARA): Sir, I would like to associate with Shri P.S. Gadhavi.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : सभापति महोदय, रघुवंश बाबू इस विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनको इस विभाग के संबंध में मुझ से कोई कम जानकारी नहीं है। जितनी बातों का उन्होंने यहां जिक्र किया है, उन सभी बातों का तथा इस प्रश्न के उत्तर भी उन्हें मालूम हैं। रामजी लाल सुमन जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है, हम भी मंत्री-मंडल में साथी के रूप में रहे हैं और उनकी पीड़ा को हम जानते हैं कि जिस वर्ग से हम लोग जुड़े हुए हैं, वह पशु पालक वर्ग है। हमारा वंश तो पशु-पालक है और लोगों को इसके बारे में विशेा पढ़ाई करनी होती है। हम तो जन्म से ही पशु-पालन का काम करते रहे हैं। इसलिए पशु-पालन से हमारा केवल मानसिक संबंध नहीं है, बल्कि आर्थिक, आध्यात्मिक और भौतिक संबंध भी है। इसलिए उनके प्रति हम ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनके विकास की चिंता करते हैं।

कुछ ऐसे प्रश्न जो यहां उठाये गये हैं, जो पशु-धन के आर्थिक आधार हैं जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जो आंकड़े निकलते हैं, वे सरकार की किताब में से हैं और आंकड़ों के ऊपर हम बहस नहीं करेंगे कि कितने आंकड़े हैं लेकिन यह तय है कि 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। भारतीय कृषि का आधार ही पशु हैं। बिना पशु के भारतीय कृषि का आधार ही नहीं बना था क्योंकि दुनिया में दो तरह की खेती होती है। एक मशीन से खेती होती है जिसे हॉर्स पॉवर कहते हैं और एक खेती जो पशु से होती है जिसे ऑक्स पॉवर कहते हैं। हिन्दुस्तान की खेती पशु के आधार पर है। ग्रामीण यातायात, परिवहन का काम भी पशु पर आधारित है। आज जितनी मशीन और ट्रैक्टर हैं, इसके बावजूद भी लकड़ी के पहिये वाली गाड़ी का आज भी गांव में इस्तेमाल होता है। आप जिस इलाके से आते हैं, मैं भी आता हूं, चाहे वह उड़ीसा हो, बिहार हो, आन्ध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ट्रैक्टर और रबड़ के चक्के वाली गाड़ी नहीं चल सकती हैं, वहां आज भी लकड़ी के पहिये वाली गाड़ी से बैल के जरिए ढुलाई होती है और उसमें चाहे गधा, ऊंट या खच्चर हों, जो कि उस गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। इसलिए कृषि मंत्रालय में इस पर हम अधिक जोर देते हैं कि उनको बढ़ाया जाए। ज्यों-ज्यों मशीन की खेती का विकास हुआ है, खेती मशीन पर आश्रित होती गई है और त्यों-त्यों पशु की संख्या में भी कमी आई है। रघुवंश बाबू भी जानते हैं। आप भी किसान परिवार से हैं और मैं भी सौ-दो सौ एकड़ की जमीन जोतने वाले किसान का पुत्र रहा हूं। जहां हमारे यहां 10-10 बैल और 10-10, 20-20 भैंस रहती थीं।

आज मेरे दरवाजे पर जाएं तो एक पशु नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती हो रही है इसलिए पशु रखने का कोई मतलब नहीं है। आखिर किसान जब मशीन से खेती करने लगा तो उसी अनुपात में पशु सम्पदा का भी ह्रास होता चला गया, क्योंकि पशुपालन करने वाले कम होते गए। यह एक अलग विाय है। उन्नत खेती के कारण, सघन खेती के कारण, अधिक उत्पादन के कारण, व्यावसायिक खेती के कारण आज हमारी मानसिकता भौतिकतावादी वाली बन गई है। पशुओं के प्रति, गोवंश के प्रति हमारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव था, उसके प्रति जो ह्रास हो रहा है, उसके कई कारण हैं। यह एक अलग विाय है और इस पर लम्बी बहस हो सकती है, वह होनी चाहिए।

गढ़वी साहब ने नस्ल सुधार की बात कही, जो सही बात है। दो तरह की नस्ल सुधार है, एक तो संकृत नस्ल और दूसरी है देशी नस्ल। संकृत नस्ल के बारे में रघुवंश बाबू भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। संकृत नस्ल जहां बड़े-बड़े डेयरी फार्म बनाए गए हैं, जहां मेकेनाइज्ड डेयरी फार्म हैं, जहां आधुनिक, वैज्ञानिक तरीके से दूध का उत्पादन होता है, पशु पालन होता है, चारा खिलाया जाता है, वहां संकृत नस्ल काफी सफल रही है और दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग कम हैं, वहां यह सफल नहीं हो पाई है। अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो वहां एक किसान औसत रूप से 177 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। जो यूरोपीयन ग्रुप समूह के देश हैं, वहां एक किसान औसत रूप से 18 हेक्टेयर जमीन का मालिक है और इंग्लैंड में एक किसान 50 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। हिन्दुस्तान में सारी जमीन का, जमाबंदी का बंटवारा करते हैं तो औसत रूप से एक किसान डेढ़ हेक्टेयर जमीन का मालिक बनता है। अगर हम अपनी तकनीक को विकसित करेंगे, तो पशुपालन को भी विकसित करेंगे। ऐसी नस्ल को वहां ले जाएंगे जहां हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, दलित लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, जो पशुओं को अच्छी तरह से खिला नहीं सकते, वहां सुधार करेंगे, तो हम हिन्दुस्तानी नस्ल को उन्नत कर सकेंगे। इसलिए अगर उसको आगे बढ़ाना है तो वहां की प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृटिकोण से उनके लिए ऐसी तकनीक लानी होगी जो सहज भी हो, सुलभ भी हो और पशुपालन के लिए भी हो। इस तरफ भारत सरकार का ध्यान है और हमारी कई योजनाएं इस पर चल रही हैं। हिन्दुस्तान के अंदर जो उन्नत नस्ल की गाय और भैंस हैं, जैसे मुर्रा भैंस है, गायों में जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है या गीड़ है या गुजरात की, राजस्थान की गाय हैं, केरल की बेचूर नस्ल की गाय देखने में छोटी है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी नस्ल की गाय है। वह दूध कम देती है, लेकिन उसके दूध की उपयोगिता ज्यादा है। उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने केरल यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक परियोजना भी चलाई है। इस पर भारत सरकार प्रयत्नशील है कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं।

जैसा अभी रघुवंश बाबू जी कह रहे थे कि गांव-गांव तक किसानों के पास इसको ले जाएं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अगर कोई योजना चलाती है तो वह राज्य सरकारों के माध्यम से चलाती है। रिसर्च का काम हम करते हैं, प्रयोग का काम हम करते हैं, परीक्षण का काम हम करते हैं, हम फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का काम राज्य सरकारों के माध्यम से होगा। हमारे जितने दुग्ध उत्पादन के लिए ट्रेनिंग सेंटर हैं या झांसी में आई.सी.ए.आर. चारा अनुसंधान केन्द्र हैं, वहां राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों के चाहे वह हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरी हो, गोटरी हो, पिगरी हो, उन सभी विभागों के अधिकारियों को इस संस्थान में बुलाकर उनको अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर भेजते हैं। इसको टी.टी.सी. भी कहते हैं यानी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। इन ट्रेनिंग सेंटर में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, वहां से प्रशिक्षण लेकर राज्य सरकारों के अधिकारी चले जाते हैं। अगर राज्य सरकारें उस प्रशिक्षण का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा सके तो इसमें केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। हम कोई जोर-जबर्दस्ती तो कर नहीं सकते कि आप यह करिए। फिर भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जरिए, कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए, पशुपालक प्रशिक्षण शिविरों को चलाकर भारत सरकार के द्वारा जितना हो सकता है, उतना हम करते हैं और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं।

बहुत दिनों के बाद, शायद पहली बार पशुपालन मंत्रियों का सम्मेलन हमारे केन्द्रीय मंत्री जी ने बुलाया था। उस पर हमने चर्चा की और वह चर्चा काफी सफल रही। उस चर्चा के आधार पर हम आगे क्या करने वाले हैं, यह मैं अभी नहीं बता सकता।

क्योंकि उनके साथ जो चर्चा हुई वह आज के आर्थिक और विश्व के वातावरण के आधार पर हुई है। जहां तक पशु नीति की घोाणा की बात है, पशु नीति बनाने में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और पशु धन के संवर्धन के लिए, उन्नति के लिए काफी प्रयत्नशील हैं। उसमें हमारी कई योजनाएं हैं। यदि मैं उन योजनाओं को सुनाने लगूं तो मुझे इन योजनाओं का विवरण देने में एक घंटा लग जाएगा।

माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में प्रश्न उठाया। राजस्थान सरकार के लिए भी हमने योजना चलायी है। चारा कितना देते हैं? उनको 11.66 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। जो चारा पीड़ित हैं उनको 50 करोड़ रुपए एनसीआरएफ से दिए हैं। जहां तक चारा बैंक बनाने की बात है या दूसरी कोई चीज करने की बात है, मैं

माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि हमें इस बार चारा बैंक बनाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी मंजूरी मिल गई है और हम इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जहां राज्य सरकारें चारा बैंक बनाना चाहें, हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। हम कोशिश करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि इसे राज्य सरकारें करें।

यूरिया ट्रीटमैंट के द्वारा चारे की गुणवत्ता बढ़ाने की भी बात है। केन्द्र सरकार इसके लिए 100 फीसदी राशि देने के लिए तैयार है। इसमें राज्य सरकारें सहयोग करके, इस राशि का उपयोग कर सकें तो अच्छा होगा। हम इसमें सौ फीसदी राशि देंगे। जहां तक संवेदनशील क्षेत्रों में चारा बैंक स्थापित करने की बात है, हम उसमें 75 प्रतिशत देंगे और 25 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी।

श्री लक्ष्मण सिंहः जो सूखा प्रभावित प्रदेश हैं क्या वहां के लिए चारे की योजना बना रहे हैं? आप उनकी सहायता करेंगे लेकिन राज्य सरकारें 25 परसैंट पैसा जमा नहीं कर सकती हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल से सूखा पड़ा है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः यह एक अलग विषय है। जो राज्य आपके साथ हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ इस संबंध में परस्पर संवाद होते हैं। उनकी बातें योजना आयोग तक जाती है। वे योजना आयोग से वित्त मंत्रालय होकर जाती हैं। आप जानते हैं कि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय होकर हमें जो राशि मिलती है, हम उनका उपयोग योजनाओं का अमल करने पर करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री इस बारे में काफी संवेदनशील हैं। हम राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु धन के लिए राज्य सरकारों को सहायता की जरूरत होती है तो हम उन्हें हिस्सेदारी देने का काम करते हैं। हमने उन्हें रेल गाड़ी के डिब्बे मुफ्त देने का काम किया है। हमने उनको कहा कि वे जितना चारा ले जा सकते हैं, ले जाएं। हमने उनको कहा कि वह एक जोन बना दें कि जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, सभी पशुओं को वहां एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए। वह अगर चाहें तो पशुओं के लिए राहत शिविर चला सकते हैं। जितनी सहायता चाहिए, केन्द्र सरकार देने के लिए तैयार है। हम कहीं कोई कमजोरी आने नहीं देंगे, लेकिन हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही इसे कर सकते हैं।

सभी सदस्यों ने यह बात उठायी कि हम बीमारी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? बीमारी रोकने के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय प्लेग उन्मूलन परियोजना पिछले दिनों से चल रही है। हम उसमें सौ फीसदी पैसा दे रहे हैं। वह आज से नहीं दे रहे हैं, 1952 से इस योजना के बारे में सोचा गया तब से यह योजना चल रही है। हम इसमें सौ फीसदी पैसा देते हैं। इसमें खर्च नहीं हो तो हम क्या करें? माननीय रघुवंश बाबू दुखी न हों। मैं भी बिहार का हूं, माननीय सभापति महोदय भी बिहार के हैं। रघुवंश बाबू केवल बिहार के नहीं हैं। जब बिहार की पीड़ा, दर्द और वेदना की चर्चा होती है तो आप से कम हमारे शरीर के रोएं नहीं सिहरते हैं। हम भी सिहर जाते हैं। इस योजना के तहत हमने बिहार को 1997 से 2002 तक राष्ट्रीय प्लेग उन्मूलन कार्यक्रम में जितनी राशि दी, उसमें से एक पैसा बिहार सरकार ने खर्च नहीं किया। हम इसका क्या जवाब देंगे? हमें कहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कृषि मंत्री होकर, पशु पालन मंत्री होकर इंजैक्शन लेकर गांव-गांव नहीं जाऊंगा, सभी पशुओं को वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इसे करना किस का काम है? इस काम में जिस राज्य के लोग तत्पर हुए हैं, जिन को इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं, उनके मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उन्हें बताने में लंबा समय लगेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपकी बिहार का सुधार करने की इच्छा नहीं है। बिहार के खिलाफ बोलने वाले उधर जो लोग बैठे हैं, उन्हें मैं सब बातें बताने के लिए तैयार हूं। बिहार में ब्रीड इम्प्रूवमैंट की अलग से परियोजना थी। क्या आपने उसे दुश्मनी से खत्म नहीं किया?

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यदि आप चाहें तो अलग से मांग कर लीजिए। मैं सभापति जी से आग्रह करूंगा कि केवल बिहार के ऊपर सदन में चर्चा की जाए।

श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बिहार के लिए जितनी परियोजनाएं दी हैं, पिछले पचास वर्षों में अगर देश की किसी सरकार ने दी होंगी तो हम इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे।â€¦ (व्यवधान) लेकिन यह कहने के बजाय की इस पर बहस कराइये, आप सीधे खड़े हो जाते हैं। ...(व्यवधान)... **

सभापति महोदय : डा.रघुवंश प्रसाद जी, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें, टोका-टाकी में न फंसे।

...(व्यवधान)... **

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, केवल माननीय मंत्री जी का जवाब प्रोसीडिंग में जायेगा।

Now, nothing should go on record except the speech of the hon. Minister.

...(व्यवधान)... **

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : रघुवंश बाबू, यह लोक सभा है, लोक सभा में डा. लोहिया ने कहा था कि दुनिया में शासन दो तरीके से चलता है - एक हथियार के बल पर और दूसरा तर्क के बल पर। लोक सभा में, सदन में बहस के बल पर चलेगा, तर्क के बल पर चलेगा। यहां अगर लाठी में तेल लगाकर बहस करने लगेंगे तो नहीं चल सकता है। यहां तर्क से बहस करिये, सवाल करिये, जवाब लीजिए। इसलिए कृपा करके सुनिये।

...(व्यवधान)... **

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी यील्ड नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

...(व्यवधान)... **

* Not Recorded

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब माननीय मंत्री जी को देने दीजिए। आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री विजयपाल सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। रघुवंश बाबू, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें

...(व्यवधान)... **

सभापति महोदय : कृपया कोई असंगत शब्द न लिखें, इनकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, जो खुरपका और मुंहपका, फुट एंड माउथ डिसीज का मामला हैâ€¦ (व्यवधान) हमने तीन जोन बनाये हैं।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आपने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब आने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इन तीन जोन्स में अभी सम्पूर्ण देश के 54 जिलों में खुरपका एवं मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम की गहन शुरूआत की जायेगी, जिसमें हमने देश के 54 जिलों को आइडेन्टीफाई किया है, जहां सबसे ज्यादा बीमारी थी। इसे हमने तीन जोन्स में विभक्त किया है और बाकी जो राज्य बचे हुए हैं, उनमें फिर हम आगे आयेंगे। लेकिन तात्कालिक तौर पर हमने तीन जोन में इन राज्यों को लिया है - प्रथम जोन में आठ जिले हैं, दूसरी जोन में 33 जिले हैं और तीसरी जोन में 13 जिले हैं। इस प्रकार 54 जिलों में हम पूरी तौर पर अपनी तरफ से पैसा देते हैं। इसमें पहले योजनाओं में जो पैसा दिया जाता था, उसमें 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 25 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 प्रतिशत पैसा किसान देता था। यह योजना पहले से चली आ रही थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का पशुओं के प्रति और इस देश के किसानों के प्रति प्रेम है, इसलिए उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र देगा और 25 प्रतिशत राज्य सरकारें दे या किसान से लेकर दे, लेकिन 25 प्रतिशत राज्य सरकारें दें। आपके समय में 25 प्रतिशत केन्द्र, 25 प्रतिशत राज्य और 50 प्रतिशत गरीब किसान देता था, जिस दलित, पिछड़े, निर्धन, निर्बल, भेड़-बकरी वाले किसानों की आप बात करते हो, उससे आप 50 प्रतिशत पैसा लेते थे। इस सरकार ने 75 प्रतिशत पैसा अपनी तरफ से दिया है और केवल 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को देना है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप सीनियर मैम्बर है, आप माननीय मंत्री जी जवाब होने दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, डा.रामजीलाल सुमन ने जो प्रश्न उठाये हैं, उसमें काफी आंकड़े भी देने हैं। मैं सुमन जी से यह आग्रह जरूर करूंगा कि उन्होंने जिस स्तर से, जिस तरह से केवल

* Not Recorded

अपने प्रश्न तक सीमित रहकर अपनी बात यहां रखी है, एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि देश के एक किसान परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने प्रश्न उठाया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस संबंध में अगर वह विशेा जानकारी चाहेंगे तो मैं उन्हें अपने मंत्रालय में आमंत्रित करता हूं। मैं उनका साथी हूं, आप मेरे मंत्रालय में आइये और बैठिये, हम आपको योजनाओं की जानकारी देंगे। नहीं तो मैं आपके सामने पशुपालन विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठा दूंगा और सम्मान के साथ आपको जो जानकारी चाहिए, हम आपको वह जानकारी भी देंगे और जिस योजना के तहत कोई एन.जी.ओ. के थ्रू या राज्य सरकार के थ्रू, व्यक्तिगत तौर पर भी अगर उस क्षेत्र के किसानों के कल्याण के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं,

मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि कृषि, सहकारिता और पशुपालन मंत्रालय आपके लिए खुला हुआ है। आप आइए और हमारे साथ बैठकर उन योजनाओं का लाभ उठाइए। भारत सरकार की योजनाएं काफी हैं और हमारे पैसे पड़े रह जाते हैं। हमारी विनम्र प्रार्थना होगी सभी माननीय सदस्यों से कि हमारा पैसा जो राज्यों से लौटकर आता है, क्या आप समझते हैं कि उससे मुझे कोई लाभ मिलता है? उस समय हमारे कलेजे में दर्द होता है कि पैसा लौटकर क्यों आ रहा है। उस समय हम सोचते हैं कि यह पैसा किसी गरीब किसान और किसी भेड़-बकरी वालों पर खर्च हो जाता तो अच्छा होता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि रामजीलाल सुमन जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : खाली पड़ी जमीन का कैसे उपयोग करेंगे? â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : रावत जी, आप बैठ जाइए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वह हम करने वाले हैं। आप जानते हैं कि उसके संबंध में भारत सरकार काफी सोच रही है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर वार्ता कर रही है। उन पर भी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अंतिम प्रार्थना मैं माननीय रघुवंश बाबू से हाथ जोड़कर करूँगा कि वह प्रोफेसर भी हैं और यह कहते हैं कि बंधुआ मज़दूर मंत्री बनते हैं। रघुवंश बाबू से मैं कहना चाहूँगा कि सभापति जी आसन पर बैठे हुए हैं। अगर हम बंधुआ मज़दूरी वाले होते, अगर हम किसी की गुलामी कुबूल करते तो लालू यादव के पैरों के नीचे बैठे होते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम विद्रोही हैं। अन्याय का विरोध करना और विद्रोही बनना मेरा स्वभाव है। इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सदन में करना उचित नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई भी असंगत और असंसदीय बात रेकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(Interruptions) â€¦**

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी का जवाब हो गया है। माननीय मंत्री जी, एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा चूँकि विाय बहुत गंभीर था। रासा सिंह रावत जी पूछ रहे थे तो हमने उनको परमीशन नहीं दी। रावत जी ने अपने प्रश्न में स्पट कहा था कि जो ज़मीन खाली पड़ी है, ऐसी जमीनों पर उपयुक्त चारा उत्पादन हो, उस दिशा में सरकार की क्या योजना है। इस संबंध में वे जानना चाहते थे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महदोय, जो हमारी चारा विकास के लिए योजनाएं है, उन योजनाओं में एक योजना यह भी है कि सूखा प्रभावित तथा अन्य क्षेत्रों में चारा घास उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों की समुचित सहायता करेंगे और जो जमीन उपलब्ध है, वहां राज्य सरकारों का सहयोग लेंगे। आप भी जानते हैं कि जो पहले गांवों के अंदर गैर मुजरवा या आम, खास, कैसरहीन सरकारी ज़मीन थी, उन जमीनों को धीरे-धीरे अतिक्रमण करके लोगों ने अपने कब्ज़े में कर लिया, चाहे वह कब्ज़ा किसी तरह से किया हो। उसके कारण जो गरीब लोगों के पशु उसमें चरते थे, उसका ह्रास हुआ है। हरियाणा और पंजाब में जोहड़ होते थे जहां पशुओं को नहलाते थे, धुलाते थे, पानी पिलाते थे, धीरे-धीरे वह भी मिट्टी से भर गए हैं और सूखते जा रहे हैं। हम इन सब पर राज्य सरकारों की ओर से चर्चा करते हैं कि पशुओं को स्वच्छ पानी मिले, उनके स्नान करने की व्यवस्था हो, उनकी नस्ल में सुधार हो और ऐसी ज़मीन जो पड़ती ज़मीन है या जंगल में है, उनमें नये किस्म की घास को हमने झांसी में और अन्य जगहों पर आई.सी.ए.आर. के माध्यम से डैवलप किया है। बीकानेर में भी हम इसको डैवलप करके प्रयोग कर रहे हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, कम पानी में, रेगिस्तानी इलाकों में, बंजर भूमि में, बलुवाई भूमि में भी उन प्रजातियों की घास काफी पैमाने पर लगा दें जिससे पशु चर सकें, नहीं तो उनको काटकर और सुखाकर भी रख सकें। अगर हम सड़क पर भूसा लेकर चलते हैं तो बहुत जयादा अवरोध पैदा होता है। इसके लिए हमने ऐसी मशीन निकाली है कि जिससे हरे चारे को काटकर उसका केक बना दें, उनको ईंट जैसे पैक कर दें और जो भूसा पांच ट्रक पर ले जाते हैं, उतना एक ट्रक पर ले जा सकेंगे। यह सारी तकनीक हमारे पास है और चारा विकास के लिए हम यह सब करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूँगा कि वे अपने राज्यों की सरकारों के साथ, पशुपालन मंत्री के साथ वार्ता करें और वह भी उसमें सहायक बनकर अपनी-अपनी राज्य सरकारों से योजना मेरे पास लाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकारों की तरफ से वह जो भी योजना लाएंगे, उसमें अपनी तरफ से कहीं भी धन का अभाव नहीं होने देंगे। भारत सरकार के पास धन की कमी नहीं है।

* Not Recorded

सभापति महोदय : अब सदन सहमत हो तो आइटम नं. 16 श्री शरद यादव जी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2003 सदन में विचार हेतु रखें।

SHRI C. SREENIVASAN (DINDIGUL): We do not want to sit for any more time, please adjourn the House. Without sufficient number of Members being present, how can we discuss it?

सभापति महोदय : अब यह आधे घंटे की चर्चा समाप्त हो गई है।